न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– राकेश कुमार रजक
जमानत आवेदन सं0–278/2026
उत्पाद थाना कांड सं0–110/26
बिहार राज्य बनाम् रंजीत ढांढ़ी।

रंजीत ढांढ़ी, पे0–गरीबन ढांढ़ी, उम्र लगभग–35 वर्ष।
साकिन–सोहदी भलुआ, थाना–अरियरी, जिला–शेखपुरा।
....आवेदक।

वनाम

बिहार सरकार .... विपक्षी।

आवेदक की ओर से–श्री संजीव कुमार, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी की ओर से– श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

आ दे श

17.03.2026 काराधीन अभियुक्त रंजीत ढांढ़ी की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो कि दिनांक 07.03.2026 से काराधीन है। उत्पाद थाना कांड संख्या–110/2026 के अंतर्गत धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लम्बित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतः निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के द्वारा पूर्व में नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में इस केस के अलावे अन्य कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जो कि आवेदक के विरुद्ध लागू नहीं होता है। आवेदक को जानबूझकर झूठा केस में फंसाया गया है । आवेदक के पास से कोई शराब बरामद नहीं हुआ है और न ही कोई बाल्टी बरामद हुआ है। आवेदक एक किसान व्यक्ति है। गेहूँ का पटवन कर अपने घर जा रहा था कि जबरदस्ती पूर्वक गलत तरीके से पकड़ लिया गया। आवेदक समाज का एक सम्मानित व्यक्ति है एवं इसके फरार होने की संभावना नहीं है एवं उचित राशि का बंध पत्र देने को तैयार है। आवेदक दिनांक 07.03.2026 से काराधीन है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया है कि उक्त अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– राकेश कुमार रजक
जमानत आवेदन सं0–278/2026
उत्पाद थाना कांड सं0–110/26
बिहार राज्य बनाम् रंजीत ढांढ़ी।

लगातार

17.03.2026 उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला है कि उत्पाद थाना दिनांक 06.03.2026 को समय करीब 05:30PM बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि अरियरी थाना अंतर्गत सोहदी भलुआ गॉव में रौशन यादव का किराना दुकान के पास रंजीत ढांढ़ी, पिता–गरीबन ढांढ़ी के द्वारा चुलाई शराब का बिक्री कर रहा है। ससमय छापामारी करने पर उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है तथा शराब की बरामदगी हो सकती है। सूचना को सत्यापित करने हेतु वरीय पदाधिकारी से अवगत कराया, जिन्होंने मेरे नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया, जिसमें महिला सिपाही, गृहरक्षक सिपाही तथा सैप बल के जवानों को शामिल कर समय करीब 06:50PM बजे अरियरी थाना अंतर्गत सोहदी भलुआ गॉव में रौशन यादव का किराना दुकान के पास पहुंचा और विधिवत घेराबंदी किया तो उसी क्रम में देखा कि एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में एक उजला रंग का प्लास्टिक का बाल्टी लेकर भागने का प्रयास करने लगा, तो मेरे कहने पर गृहरक्षक के द्वारा रौशन यादव के किराना दुकान के पास ही पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से अपना नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रंजीत ढांढ़ी, पे0–गरीबन ढांढ़ी, उम्र लगभग–35 वर्ष, साकिन–सोहदी भलुआ, थाना–अरियरी, जिला–शेखपुरा बताया। विधिवत नियमों का पालन करते हुए उक्त व्यक्ति के कब्जे वाले उजला रंग का प्लास्टिक का बाल्टी का भौतिक सत्यापन करने पर बाल्टी 10 लीटर क्षमता वाला पाया गया। बाल्टी के अन्दर 200ml का 05 पाउच चुलाई शराब बरामद हुआ। कुल चुलाई शराब की मात्रा– 200ml X 05=01.000 बरामद व जप्त किया गया। विधिवत नियमों का पालन करते हुए बरामद प्रदर्श को जप्ती सूची तैयार कर जप्त किया गया एवं गिरफ्तारी मेमो बनाकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया। जमानत आवेदन के पारा तीन के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। अभियुक्त इस वाद में दिनांक 07.03.2026 से काराधीन है। इनके विरुद्ध अनुसंधान जारी है।

अतः उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए आवेदक की ओर से दाखिल उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदक की ओर से दस हजार रूपये

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा। **उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक** **जमानत आवेदन सं0—278 / 2026** **उत्पाद थाना कांड सं0—110 / 26** **बिहार राज्य बनाम् रंजीत ढांढ़ी।**

लगातार

17.03.2026 के जमानत बंधपत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि एक जमानतदार सगे—संबंधी होंगे तथा इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि——

1. इस तरह की घटना में दुबारा सम्मिलित नहीं होंगे।
2. आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
3. अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन आग्रहनुसार इनका बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 17—03—2026.

Date of Judgment/ Order	17.03.2026
Date of Reserving Judgment/Order	17.03.2026
Uploading Date	18.03.2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary.